पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 ई0 (कार्तिक 03, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–43

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	407–436	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	289–290	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	77–80	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	13–19	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2008 ई0

संख्या 1961/VII-II/123–उद्योग/08–औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 488/VII-II–08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति में घोषित अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश/नियम गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि–

(1) यह दिशा–निर्देश/नियम विशेष स्वीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2008 जैसा कि अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 में अधिसूचित है, से प्रवर्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण–

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/VII-II–08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में योजनान्तर्गत अनुदान सहायता/छूट की अनुमन्यता/पात्रता के लिए दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

(i) श्रेणी–ए : जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा चम्पावत।

(ii) श्रेणी–बी : जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग, जनपद नैनीताल (हल्द्वानी व रामनगर विकास खण्ड को छोड़कर) तथा जनपद देहरादून (विकास नगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकास खण्ड को छोड़कर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बहुल विकास खण्ड।

परिभाषा–

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम :

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, ऐसा उद्यम जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय–3, धारा 7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा जिसके लिए उद्यम की स्थापना का आशय रखने अथवा उद्यम स्थापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो :–

(i) विनिर्माणक/उत्पादक उद्यम–
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में, जैसे :–

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक न हो।

(ख) एक लघु उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो किन्तु पाँच करोड से अधिक न हो, या

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पाँच करोड़ रुपये से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(ii) सेवा प्रदाता उद्यम–

सेवा प्रदाता उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गयी हों।

सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक न हो;

(ख) एक ऐसे लघु उद्यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान दस लाख रुपये से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रुपये से अधिक न हो; या

(ग) एक ऐसे मध्यम उद्यम के रूप में जहाँ उपकरण में विनिधान दो करोड़ रुपये से अधिक हो किन्तु पाँच करोड़ रुपये से अधिक न हो।

2. बृहत औद्योगिक इकाई :

बृहत औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका पूँजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय 3, धारा 7 में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूँजी निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आई0ई0एम0/एस0आई0ए0/औद्योगिक लाइसेंस/आशय–पत्र (जैसी स्थिति हो) फाइनल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

3. बृहत परियोजना (Mega Project) :

बृहत परियोजना से आशय ऐसी औद्योगिक परियोजना से है जिसमें स्थायी परिसम्पत्तियों में 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् पाँच करोड़ रु0 से अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो तथा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से एस0आई0ए0/आई0ई0एम0/आशय–पत्र (जैसी स्थिति हो) में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति (Acknowledgement) प्राप्त हो।

विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यम–

अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रस्तर–1 में उल्लिखित विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र में चिन्हित उद्यमों का विवरण निम्नवत् है :–

1. हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग :

(i) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के परिपत्र/शासनादेश सं0 2164/37/एआरएन/97, दिनांक 3–6–97 की अनुसूची–1 में प्रवर्गीकृत अप्रदूषणकारी 220 हरित प्रवर्ग के चिन्हित उद्योग/उद्यम।

(ii) दून घाटी अधिसूचना, 1989 में लाल श्रेणी के अन्तर्गत प्रवर्गीकृत निम्नांकित उत्पादक उद्यमों को छोड़कर अन्य सभी उद्यमों को हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी उद्यम के रूप में चिन्हित किया गया हो–

1. Aluminium smelter.
2. Distillery including Fermentation industry.
3. Dyes and Dye-intermediates.
4. Fertilizer.
5. Iron and Steel (Involving processing from ore/scrap/ Integrated steel plants).
6. Oil refinery (Mineral oil or Petro refineries).
7. Pesticides (Technical) (excluding formulation).
8. Petrochemicals (Manufacture of and not merely use of as raw material).
9. Paper, Straw Board, Pulp Card Board (Paper manufacturing with pulping).
10. Tanneries.
11. Thermal Power Plants.
12. Zinc smelter.
13. Ceramic/Refractores.
14. Chemical, Petrochemical and Electrochemicals including manufacture of acids such as Sulphuric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid etc.
15. Chlorates, Perchlorates and Peroxides.
16. Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine and their Compounds.

17. Coke making, coal liquefaction, Coaltar distillation or fuel gas making.
18. Explosives including detonators, fuses etc.
19. Fire crackers.
20. Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black etc.
21. Industry or process involving electroplating operations.
22. Lead re-processing & manufacturing including lead smelting.
23. Mining and ore-beneficiation.
24. Phosphate rock processing plants.
25. Phosphorous and its compounds.
26. Potable alcohol (IMFL) by blending or distillation of alcohol, Distilleries and Brewaries.
27. Slaughter houses and meat processing units.
28. Steel and steel products including coke plants involving use of any of the equipment's such as blast furnaces, open hearth furnace, induction furnace or arc furnace etc. or any of the operations or processes such as heat treatment, acid pickling rolling or galvanising etc.
29. Stone Crushers.
30. Synthetic detergent and soap.
31. Tobacco products including cigarettes and tobacco processing.
32. Synthetic Rubber.
33. Chemicals.
34. Glass.
35. Galvanising, Heat treatment, induction heating running on continuous basis.
36. Aluminium refining and manufacturing.
37. Sulphuric Acid with contact process.
38. Vanaspati involving Hydrogenation process (not applicable to refined oils)
39. Chemical Fertilizers.
40. Drug Manufacturing Industries having fermentation process and having contracted load more than 1 MVA.

2. विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग :

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1 (10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों की चिन्हित गतिविधियाँ।

3. प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँ :

(i) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 812/अ0वि0/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 में अधिसूचित पुष्पकृषि (Floriculture) व्यवसाय।

(ii) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 926/अ0वि0/04–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में अधिसूचित निर्धारित प्रजनन/वार्षिक क्षमता वाले परिक्षेत्र में विद्युत का उपयोग बॉयलर/लेयर/अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रित रूप से किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) कुक्कुटपालन।

(iii) पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 483/VI/2004–333(पर्य0)/2003 दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियाँ।

(iv) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 406/XVI/04/298/2002 दिनांक 17 मई, 2002 में उल्लिखित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्रता रखने वाली गतिविधियाँ।

4. पूर्वोत्तर राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज 2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ :

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या 1 (13)/2003–एसपीएस दिनांक 14 सितम्बर, 2004 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2004 में परिभाषित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियाँ, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, स्पा0 मनोरंजन/Amusement पार्क तथा रोप–वे सम्मिलित हैं।

(ii) पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियाँ।

स्पष्टीकरण–

(1) होटल में किराये पर देने योग्य न्यूनतम 08 कमरों का आवश्यक सुविधाओं युक्त व्यवसायिक भवन।

(2) होटल भवन निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त तथा उचित पहुँच वाले स्थल पर हो।

(3) होटल में निर्मित कक्षों का आकार एवं क्षेत्रफल स्थानीय उपनियमों तथा मानकों के अनुरूप हो।

(4) होटल के कम से कम 50 प्रतिशत कक्षों में attached स्थानगृह/प्रसाधन/शौचालय की सुविधा हो।

(5) होटल के शेष 50 प्रतिशत कक्षों के लिए भी समुचित प्रसाधन/स्नानगृह/शौचालय की व्यवस्था हो।

(6) होटल में ठण्डे/गरम पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।

(7) होटल में टेलीफोन सुविधा युक्त स्वागत कक्ष हो तथा होटल का फर्नीचर साफ व आरामदायक हो।

(8) होटल का भोजनालय स्वच्छ, हवादार, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हो तथा होटल में स्वच्छता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो।

(9) खेल तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों में अनुमोदित गतिविधियाँ।

(10) केबिल कार तथा ट्रॉली युक्त रोप–वे।

(11) विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियाँ तत्सम्बन्धी योजनाओं की गाईड–लाइन्स के अनुरूप होंगी।

(iii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम :

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम/चिकित्सालय।

(1) नगरपालिका तथा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थापित आधुनिक पद्धति के चिकित्सा उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिकल पैथौलॉजी, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, ऑपरेशन थियेटर, औषधि भण्डार तथा आपातकालीन सुविधाओं युक्त 10 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक शल्य/काय चिकित्सा विशेषज्ञ सहित दो सामान्य चिकित्सक (जिनकी न्यूनतम अर्हता एम0डी0/एम0एस0/एम0बी0बी0एस0/बी0आई0एम0एस0 अथवा चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक की डिग्री हो) आवश्यक प्रशिक्षित महिला/पुरुष सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(2) नगरपालिका तथा टाउन एरिया की परिधि से न्यूनतम 20 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थापित आधुनिक पद्धति के आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, टीकाकरण, ई0सी0जी0 तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवायें एवं आपातकालीन सुविधाओं युक्त 5 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक चिकित्सक (Physician) तथा एक प्रशिक्षित महिला नर्स एवं दो अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(3) आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी तथा पंचकर्म पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिए स्थापित चिकित्सा केन्द्र भी नर्सिंग होम की श्रेणी में आयेंगे, किन्तु इसके लिए आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा परिषद्, जहाँ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त कर सम्बन्धित पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिए निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

(4) नर्सिंग होम की स्थापना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय/चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा।

(5) नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं उपचार के लिए सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अधीन केन्द्रीय/प्रादेशिक चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद्, जहाँ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iv) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान :

(1) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या 10(3)/007–डीवीए–II/एनईआर दिनांक 21 सितम्बर, 2007 में प्रस्तर–1(V) में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत उल्लिखित होटल प्रबन्धन, कैटरिंग तथा फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग, औद्योगिक एवं कौशल विकास गतिविधियाँ।

(2) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अथवा प्रादेशिक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा परिषद् से पंजीकृत/सम्बद्धता (Affiliation) होनी आवश्यक है तथा प्रशिक्षण का स्तर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुरूप अपेक्षित स्तर का हो।

(3) पैरा मेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार चिकित्सा संकाय की शासकीय निकाय से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v) जैव प्रौद्योगिकी :

जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियाँ, जिनमें उपकरण, यंत्र–संयत्र की सहायता से उत्पादन अथवा प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा हो।

5. संरक्षित कृषि एवं औद्योगिकी, कोल्ड स्टोरेज :

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/संचालित गतिविधियाँ।

(2) कृषि एवं औद्यानिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियाँ।

(3) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम मंत्रालय द्वारा ए0एस0आई0सी0सी0 2000 एवं एन0आई0सी0 2004 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के पौली हाउसेज/ग्लास हाउसेज/निर्मित शेडों से संरक्षित कृषि उत्पाद, यथाः टिस्यू कल्चर, मशरूम उत्पादन, लाइव ट्रीज, प्लान्ट्स, बल्बस, रूट्स, कट फ्लावर, ऑर्नामेंटल तथा हाईड्रोफोनिक्स आदि गतिविधियाँ।

(4) विशिष्ट विधि वातावरण नियंत्रण सुविधा से युक्त शीत भण्डार।

6. पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम :

(i) श्रेणी–बी में वर्गीकृत पर्वतीय क्षेत्र/जनपद की नगरपालिका/टाउन एरिया से बाहर, जहाँ पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की सुविधा पहले से उपलब्ध हो, से न्यूनतम 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थापित होने वाले पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम। श्रेणी–ए के जनपदों में यह दूरी न्यूनतम 10 कि0मी0 होगी।

(ii) पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की स्थापना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से उद्यम की स्थापना के लिए नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो।

योजना से व्यवहृत इकाईयों एवं पात्रता क्षेत्र–

1. अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–1 में अधिसूचित सभी विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र की चिन्हित उद्यमों, जिनको इस नियमावली में स्पष्ट किया जा चुका है, पर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रदत्त अनुदान/रियायतों तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में अथवा सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किया गया हो और जिन्होंने स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा–पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो।

(i) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमी ज्ञापन भाग–1 सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(ii) बृहत उद्यम की स्थापना के लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक सहायता सचिवालय) अथवा सम्बन्धित मंत्रालय के आशय पत्र/अनुज्ञा–पत्र/एस0आई0ए0 पंजीकरण के लिए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(iii) यह प्रोत्साहन एवं सुविधायें नई औद्योगिक इकाईयों, यदि सम्बन्धित योजनाओं में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को ही उपलब्ध होगी।

नये उद्यम की परिभाषा–

1. नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की गई हो। उद्यम की स्थापना की तिथि के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, अभिप्रेत हैं :–

(i) कार्यशाला भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि।

(ii) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने की दिनांक।

(iii) प्रथम कच्चा माल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(iv) उद्यम के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक।

(v) किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्त पोषण बैंक द्वारा उद्यम के लिए स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त संवितरित करने का दिनांक।

स्पष्टीकरण :

1. वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई0एफ0सी0आई0, आई0सी0आई0सी0आई, आई0डी0बी0आई, सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक।

2. उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन, भाग–2 फाइल करने का दिनांक।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम–

1. स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से है, जिसके उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिए वांछित प्रमुख कच्चेमाल राज्य में उपलब्ध हो तथा कुल प्रयुक्त कच्चामाल में से स्थापित उद्यम द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत कच्चामाल की सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर से ही की गई हो।

2. स्थानीय संसाधनों पर अधारित चिन्हित उद्यमों के अन्तर्गत अधिसूचना में प्राथमिक रूप से फल, साग–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि का प्रशोधन प्रसंस्करण व भण्डारण, रामबॉस, चीड़ की पत्ती व अन्य फाइबर आधारित उद्यम, ऊन, रेशम व अंगोरा वस्त्रों का उत्पादन, जैम, जैली, अचार, गुरब्बा व जूस, शहद, मशरूम, पुष्पकृषि, जैविक खाद्य पदार्थ, मिनरल वाटर, दुग्ध उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण तथा पुश्तैनी परम्परागत उद्यमों को सम्मिलित किया गया है। कच्चामाल की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति सम्यक् विचारोपरान्त उद्यमों का निर्धारण कर सकेगी।

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने का दिनांक–

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से होगा, जब नये स्थापित विनिर्माणक/सेवा उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया हो, जो कि निदेशक उद्योग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित हो।

अचल पूँजी निवेश–

अचल पूँजी निवेश से तात्पर्य भूमि, भवन, प्लाण्ट व मशीनरी, यंत्र–संयत्र तथा उपकरण पर विनियोजित पूँजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी। पूँजी निवेश उपादान सहायता की अनुमन्यता हेतु केवल उद्यम के कार्यशाला भवन/शेड तथा प्लाण्ट–मशीनरी तथा उपस्कर मद में किये गये अचल निवेश की गणना की जायेगी, उद्यम हेतु अर्जित भूमि पर किये गये निवेश को उपादान सहायता हेतु अचल निवेश में नहीं जोड़ा जायेगा।

1. भूमि :–

भूमि की कीमत में उद्योग के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो उसे क्रय करने में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि के अतिरिक्त भूमि के विकास पर, यदि कोई धनराशि व्यय की गयी हो, तो वह भी सम्मिलित की जायेगी। निजी व्यक्ति व संस्था से पट्टे पर ली गयी भूमि की अवधि कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु सरकारी संस्था से ली गयी भूमि के सम्बन्ध में लीज अवधि की कोई न्यूनतम सीमा न होगी। लीज से सम्बन्धित व्यय को स्थायी विनियोजन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विक्रय/लीज विलेख पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. भवन :–

इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन के क्रय अथवा उसके निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय को भवन का मूल्य माना जायेगा। आवासीय तथा कार्यालय भवनों को भवन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किराये के निजी भवन में स्थापित मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों पर विनियोजित धनराशि पर उपादान की पात्रता के लिए न्यूनतम 15 वर्ष का पंजीकृत किरायानाम आवश्यक होगा। सरकारी संस्था से लिये गये भवन के मामले में किराये की कोई न्यूनतम अवधि न होगी।

3. मशीनरी :–

मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयंत्र व उपकरण इकाई के कार्यशाला में प्राप्त हो गये हों, उनके मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा। प्लाण्ट व मशीनरी के परिवहन व्यय, डेमरेज व बीमा प्रीमियम के व्यय तथा अन्य सहायक उपकरणों जैसे : औजार, जिक्स, डाई, मोल्ड आदि को भी, यदि यह पाया जाता है कि उत्पादन में इनकी वास्तव में आवश्यकता है, मशीनरी के लागत मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु कार्यशील पूँजी जैसे : कच्चामाल, उपभोग वाला भण्डार आदि को मशीनरी उपकरण व संयंत्रों के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विविध परिसम्पत्तियों, जैसे : कार्यालय उपकरण, लाइन चार्जेज, ट्रॉसफार्मर, जेनरेटिंग सेट आदि का अनुदान देय नहीं होगा।

औद्योगिक आस्थान की परिभाषा–

1. औद्योगिक आस्थान का तात्पर्य: राज्य सरकार द्वारा विकसित/अधिसूचित ऐसे क्षेत्र से होगा, जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित किया गया हो।

   (अ) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हो तथा जिस क्षेत्र को ऐसा घोषित किया गया हो।

   (ब) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो या जो क्षेत्र ऐसे आस्थान/क्षेत्र घोषित किये गये हों।

2. अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अन्दर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया–

1. पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की औद्योगिक स्थिति पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय

पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4544/सात–2/98–उद्योग/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है। यह समिति शासनादेश में वर्णित कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।

2. विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(i)	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ii)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iii)	अपर सचिव, पर्यटन/लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ऊर्जा/वन एवं पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/प्राविधिक शिक्षा/खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iv)	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक	सदस्य
(v)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(vi)	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव।

इस समिति को रु0 5 लाख से अधिक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

3. विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की उप समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

(i)	जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(iii)	अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	सदस्य
(iv)	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
(v)	सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के जिला स्तरीय समन्वयक	सदस्य
(vi)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(vii)	जिला पर्यटन/कृषि/उद्यान अधिकारी	सदस्य
(viii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(ix)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव।

इस समिति को रु0 5 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह यदि चाहें, तो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

अनुदान की सीमा–

1. प्रदेश के मूल अथवा स्थाई उद्यमी द्वारा श्रेणी–बी के जनपदों में नये उद्यम की स्थापना करने पर श्रेणी–ए के जनपदों में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा/मात्रा के बराबर अनुदान/छूट अनुमन्य होगी।
2. राज्य पूँजी निवेश उपादान/प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि विभिन्न स्रोतों से अचल पूँजी निवेश पर मिलने वाले पूँजी उपादानों की कुल धनराशि में लगे अचल पूँजी विनियोजन के 60 प्रतिशत, अधिकतम रु0 60 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के अन्तर्गत स्थापित ऐसे उद्यम, जिनका उत्पाद/क्रियाकलाप भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1(10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों में सम्मिलित है अथवा जो भारत सरकार से अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की भूमि पर स्थापित हों, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान सहायता तथा प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष पैकेज के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर छूट केन्द्रीय पूँजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

नियमावली के प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/रद्द करने का प्राधिकार–

1. इस नियमावली के संगत प्राविधानों के तहत शासन किसी भी समय–
   (i) इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने,
   (ii) उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने ने छूट देने, अथवा
   (iii) नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी,
   (iv) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेगी।

अन्य–

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकेगा।
2. इस नियमावली में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर व्याख्या देने का अधिकार शासन को होगा।
3. अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं ऑडिट आदि के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।
4. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेगी।

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2008 ई0

संख्या 2373/VII-II/123–उद्योग/08–औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 488/VII-II–08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति के प्रस्तर–5 में इंगित प्रोत्साहन, सुविधाओं हेतु निम्नलिखित योजनाओं से सम्बन्धित नियमावली संलग्न विवरणानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) से छूट,
2. नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना नियमावली, 2008,
3. औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि योजना नियमावली, 2008,
4. औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली, 2008,
5. विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली, 2008,
6. विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली, 2008,
7. विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली, 2008,

8. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ0पी0ओ0/प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली, 2008।

संलग्नकः यथोक्त–

विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर (VAT) से छूट

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488–औ0वि0/सात–2–08/2008, दिनांक 29–2–2008 के प्रस्तर–5(5) द्वारा अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना विनिर्माणक (Manufacturing) क्षेत्र के नये उद्यमों द्वारा स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति नियमावली, 2008 कहलाएगी।

2. उद्देश्य–

योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले विनिर्माणक उद्यमों को बाजार की प्रतिस्पर्धा को बनाये रखते हुए इकाई के उत्पादन मूल्य में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके।

3. कार्यान्वयन की अवधि–

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 तक अथवा जब तक शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश पारित न कर दिया जाय, लागू रहेगी।

4. परिभाषायें–

(क) मूल्य वर्धित कर (VAT)–मूल्य वर्धित कर से तात्पर्य, "वित्तीय एवं संसदीय कार्य विभाग", उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना विविध संख्या 615/वित्तीय एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 11 नवम्बर, 2005 से प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005" (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) में परिभाषित मूल्य वर्धित कर से अभिप्रेत है।

(ख) विनिर्माण/उत्पादक तथा सेवा उद्यम –

(1) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ0वि0/VII-II–08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली, 2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।

(2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

(3) बृहत उत्पादक उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत् निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिये भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस0आई0ए0/आई0ई0एम0/आशय पत्र (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT)–

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर स्वीकृत सहायता की सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। मूल्य

वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा श्रेणी–ए के जनपदों के लिए कुल कर देयता का 90 प्रतिशत तथा श्रेणी–बी के जनपदों में कुल कर देयता का 75 प्रतिशत होगी। उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों द्वारा श्रेणी–बी के जनपदों में स्थापित उद्यमों को भी मूल्य वर्धित कर में छूट/प्रतिपूर्ति सहायता श्रेणी–ए के जनपद के समान अर्थात 90 प्रतिशत देय होगी।

6. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रतिक्रिया–

मूल्य वर्धित कर में प्रतिपूर्ति के लिए, प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

7. मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया–

पात्र उद्यमियों द्वारा त्रैमासिक, षटमासिक अथवा वार्षिक रूप से, कर निर्धारण एवं कर भुगतान करने के पश्चात्, अपने उद्यम में उत्पादित उत्पाद के विक्रय पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर के प्रमाणित/सत्यापित प्रपत्रों सहित निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहपत्र/अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे :–

(क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किए गए उद्यमिता ज्ञाप भाग–2 की प्रति अथवा बृहत उद्योग की स्थापना के पश्चात् भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये आई0ई0एम0 पार्ट–2/एल0ओ0आई0 की सत्यापित प्रति।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(ग) वैध मूल्य वर्धित कर भुगतान की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

(घ) वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Returns) की सत्यापित प्रति।

8. प्रतिपूर्ति दावों की वसूली–

(क) यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(ख) उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न कराए या उक्त नियमावली अथवा विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के निर्धारित मानकों के पालन न करने पर प्रतिपूर्ति सहायता राशि एकमुश्त भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488–औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(4) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना नये उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि–

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हों, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

3. योजना का लागू होना–

यह योजना अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में वर्गीकृत राज्य के दूरस्थ व पर्वतीय जनपदों/क्षेत्रों में लागू रहेगी।

4. विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों की परिभाषा–

1. नये अभिज्ञात अर्ह विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Identified Eligible Manufacturing & Service Enterprises) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत प्रस्तर–1 व 2 में परिभाषित किया गया है।

2. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (Manufacturing & Service Enterprises) से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

3. बृहत उत्पादक तथा सेवा उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिनका अचल पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजीगत निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एस0आई0ए0 (Secretariat of Industrial Assistance)/आई0ई0एम0 (Industrial Enterprenuer's Memorandum)/आशय पत्र (Letter of intent) (जैसी भी स्थिति हो) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

4. विद्युत दर से तात्पर्य प्रति इकाई विद्युत उपभोग मूल्य से है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार छूट कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईंधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

5. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियां एवं प्रतिपूर्ति सहायता मात्र/सीमा–

1. विनिर्माणक (Manufacturing) एवं सेवा क्षेत्र के ऐसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम, जिन्हें अपात्र चिन्हित उद्यमों में सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता पात्रता की सीमा के अन्तर्गत हो, को कुल स्वीकृत/संयोजित विद्युतभार में से उपभोग किये गये विद्युत बिल के भुगतान करने पर निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी :–

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 के Annexture-2 में अधिसूचित थ्रस्ट उद्योगों के अन्तर्गत Sl. no. 6 : Sugar and its by-products, Sl. no. 10 : Sports goods and articles & equipment for general physical excise and equipment for adventure sports/activities, tourism (to be separately specified), Sl. no. 11 : Paper & Paper products excluding those in negative list (as per excise classification) Sl. no. 12 : Pharma Products, Sl. no. 13. Computer Hardware, Sl. no. 15 : Eco-tourism Units, such as Hotels, Resorts, Spa, Entertainment/amusement parks and ropeways and Sl. no. 16 : Industrial gases (based on atmospheric fraction) गतिविधि को छोड़कर अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों पर जिनकी विद्युत की कुल आवश्यकता 100 के0वी0ए0 अथवा उससे कम हो, को संयोजित विद्युतभार में से प्रत्येक माह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगा।

(ii) अन्य सभी अनुमन्य गतिविधियों, जिनमें उत्पादक (Manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र (Service Sector) के चिन्हित उद्यमों (अधिक खपत करने वाले उद्यमों को छोड़कर) को सम्मिलित किया गया है, को 500 केवीए संयोजित विद्युतभार तक, प्रत्येक माह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तथा 500 केवीए से अधिक के संयोजित विद्युतभार पर प्रत्येक माह में उत्पादन/सेवा कार्य हेतु कुल उपभोग किये गये विद्युत मूल्य/बिल के भुगतान करने पर 30 प्रतिशत की छूट प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

2. अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–4 (ब) में उल्लिखित उद्यमों, यथा : होटल/मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, स्टील रौलिंग मिल्स, इलैक्ट्रिक फर्नेस तथा अन्य इकाईयां, जो अधिक विद्युत खपत करती हैं, इस छूट की पात्र नहीं होंगी।

3. अधिक विद्युत खपत करने वाले उद्यमों के अन्तर्गत चिन्हित निम्नांकित उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्यम भी इस सुविधा के पात्र नही होंगे :–

(i)	Synthetic Fibre, Man Made Fibre, Rayon	(ii)	Tyres and Tubes of Rubber Manufacturing
(iii)	Synthetic Rubber	(iv)	Chemicals
(v)	Paper, Straw Board, Pulp, Card Board	(vi)	Glass Manufacturing
(vii)	Acetylene and Oxygen	(viii)	Solvent Extraction Plant
(ix)	Galvanising, heat treatment, induction heating running on continuous basis	(x)	Alumunium refining and manufacturing
(xi)	Camphor	(xii)	Cement
(xiii)	Sulphuric Acid with contact process	(xiv)	Caustic Soda
(xv)	Oxygen for medical purpose	(xvi)	Distilleries and Brewaries
(xvii)	Vanaspati involving Hydrogenation process (not applicable to refined oils)	(xviii)	Drug Manufacturing Idustries having fermentation process and having contracted load more than 1 MVA
(xix)	Chemical Fertilizers	(xx)	Rubber emulsifier

4. सभी अनुमन्य विनिर्माणिक उद्यमों में उत्पादन एवं कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई एवं कार्यालय में खपत होने वाली विद्युत के बिलों के भुगतान पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विनिर्माणक उद्यमों के आवासीय अथवा अन्य गैर उत्पादक क्रियाकलापों (Advertize & show) पर उपयोग की गई विद्युत के मूल्य में प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य नहीं होगी। कुल संयोजित विद्युतभार में से उतपादन/सेवा कार्य व कार्यालय में उपभोग किये गये विद्युत तथा आवासीय एवं अन्य गैर अनुत्पादक क्रियाकलापों पर उपभोग विद्युत का आंकलन ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत संयोजन देते समय सुनिश्चित कर तद्विषयक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसके आधार पर ही प्रतिपूर्ति दावे स्वीकृत किये जायेंगे।

6. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेन्सी–

विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

7. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रक्रिया–

पात्र उद्यमों को निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा :–

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।
2. बृहत उद्यम की स्थापना हेतु भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय में फाईल किये गये एस0आई0ए0/आई0ई0एम0/एल0ओ0आई0 की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।
3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।
4. विद्युतभार स्वीकृति पत्र तथा विद्युत मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
5. वैद्य विद्युत बिल तथा इसके भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

6. निश्चित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने के पश्चात् तीन माह के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।
7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावा प्राप्त होने पर दावे का परीक्षण कर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008 के अन्तर्गत अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति में दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति से स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को दावे की स्वीकृति की संसूचना दी जायेगी। उद्योग निदेशालय बजट आवंटन होने पर सम्बन्धित जनपद को बजट की उपलब्धता के आधार पर मांगी गई धनराशि का आवंटन करेगा। धनराशि प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित इकाई को स्वीकृत धनराशि संवितरित की जायेगी।
8. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता केवल व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा कार्य हेतु उपभोग की गई विद्युत की विद्युत नियामक आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विद्युत दरों (Electricity tarrif), जिनमें विद्युत कर/उपकर, विलम्ब शुल्क आदि सम्मिलित नहीं होगा, पर ही अनुमन्य होगी।

8. प्रतिपूर्ति सहायता की वसूली–

1. यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सहायता प्राप्त की गई हो।
2. प्रतिपूर्ति सहायता की अर्हता के लिए विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम का नियमित उत्पादनरत्/कार्यरत् रहना अपेक्षित है। उद्यमी द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय के लिये निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।
3. छूट सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांगे जाने पर सूचना उपलब्ध न कराने अथवा प्रस्तर–9(1) व (2) में उल्लिखित शर्तों के पालन न होने पर छूट सहायता की वसूली एक मुश्त राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488–औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना औद्यागिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास निधि नियमावली, 2008 कहलायेगी।

2. उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य सरकारी तथा निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में अधौसंरचना सुविधाओं, जैसे विद्युत, जलापूर्ति, सड़क व सम्पर्क मार्ग, जल निकासी, एफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर उद्यमियों को उद्यम स्थापनार्थ प्रोत्साहित करना है।

3. कार्यान्वयन अवधि–

यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2018 अथवा तब तक चालू रहेगी, जब तक कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा इसे अन्यथा संशोधित न कर दिया जाय।

4. परिभाषा–

1. "राज्य" से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है।
2. "औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र" से तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिस राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
3. "अधौसंरचनात्मक सुविधा (Infrastructural facility)" से तात्पर्य विकसित औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान में भूमि विकास, विद्युत, जल, पहुँच मार्ग, जल निकासी युक्त ऐसी अवस्थापना सुविधाओं से है, जिनकी उद्यम स्थापित करने हेतु प्राथमिक आवश्यकता है।

4. "अवस्थापना मैपिंग" से तात्पर्य प्रस्तर–4(3) में वर्णित ऐसे क्षेत्रों के चिन्हिकरण/अभिज्ञापन से है, जहाँ पर औद्योगिक विकास की सम्भावनायें हैं, परन्तु वर्तमान में उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधायें लगभग नगण्य अथवा अपर्याप्त/अविकसित हैं अथवा जहाँ उपलब्ध हैं, उनके वर्तमान स्तर में वांछित कमी के सुधार/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

5. अवस्थापना विकास निधि सृजन का उद्देश्य–

अवस्थापना विकास निधि के सृजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार/निजी क्षेत्र में अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से है। इसके अतिरिक्त इस निधि से ऐसे औद्योगिक आस्थानों जहाँ पर उद्यम स्थापित हैं, उद्यमी सहकारी समिति का गठन कर सम्पर्क मार्ग, जलापूर्ति तथा नालियों की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु एक मुश्त अनुदान के रूप में अंश पूँजी के अनुपात में सहायता देना भी है।

6. पात्रता–

ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जिन्हें औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।

7. नई अवस्थापना सुविधाओं की मदें–

1. विद्युत सब स्टेशन की स्थापना, विद्युत आपूर्ति में सुधार/उच्चीकरण हेतु औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में नई विद्युत लाइनों के खींचे जाने अथवा नये विद्युत सब स्टेशन के निर्माण।
2. राष्ट्रीय व मुख्य मार्ग से औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं रख–रखाव।
3. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण एवं रख–रखाव।
4. औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था।
5. अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन हेतु व्यवस्था।
6. सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Centre) का विकास।
7. ऐसी अन्य अवस्थापना सुविधायें जो राज्य सरकार औद्योगिक विकास के दृष्टिगत समय–समय पर निर्धारित करे।

8. सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/मरम्मत हेतु व्यवस्था–

1. ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, जहाँ पर पहले से उद्यम स्थापित हों, में सृजित अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव/मरम्मत हेतु उद्यमियों की सहकारी समिति के गठन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
2. वैध रूप से गठित सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये अंश पूँजी का 4 गूना अधिकतम रु0 15.00 लाख (रुपये पंद्रह लाख मात्र) तक एक मुश्त अनुदान के रूप में दी जायेगी, जिसको समिति द्वारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा जायेगा। इस प्रकार फिक्स डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग आस्थान के रख–रखाव एवं सुविधाओं की मरम्मत पर किया जायेगा। फिक्स डिपॉजिट खाते से धनराशि का आहरण/वितरण महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा सहकारी समिति के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। ब्याज के आहरण के पूर्व रख–रखाव/कार्य का प्रस्ताव समिति की बैठक में रखा जायेगा तथा समिति के सदस्यों की 3/4 उपस्थिति, कोरम के लिए पूर्ण मानी जायेगी।

9. अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण की प्रक्रिया–

अवस्थापना निधि के अन्तर्गत वित्त पोषण के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया नियमावली में दिये गये नियमों के अन्तर्गत जिला उद्योग मित्र द्वारा निम्न मदों पर विचार करते हुए निर्धारित की जायेगी :–

1. अवस्थापना मैपिंग।
2. अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता तथा उसका औचित्य।
3. वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव की प्राप्ति।

4. आंगणन का बनाया जाना एवं परीक्षण।

5. कार्य निष्पादन।

6. निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिया जाना।

7. उद्योग मित्र द्वारा प्रतिवर्ष निधि हेतु माँग पत्र निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को भेजा जायेगा तथा उपलब्ध निधि के लिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवस्थापना निधि के कार्यों की वचनबद्धता निधि में धनराशि की उपलब्धता के अनुरूप हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य विशेष के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण अपेक्षित निधि आवंटित हो जानी चाहिए, ताकि आगे धनराशि के अभाव में उक्त कार्य अपूर्ण न रहे।

10. ऑडिट व्यवस्था–

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अथवा उसके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अवस्थापना निधि से सम्बन्धित समस्त लेखों का वार्षिक विवरण, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 माह के अन्दर जिला उद्योग मित्र के समक्ष सूचना/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त 2 माह के अन्दर निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त जनपदों की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। इस निधि का प्रतिवर्ष शत–प्रतिशत ऑडिट कराया जायेगा, जिसका व्यय अवस्थापना अंशदान से किया जायेगा।

11. अवस्थापना निधि हेतु संसाधन–

1. कोष के गठन के लिए संसाधन के रूप में राज्य सरकार से रु0 2 करोड़ की धनराशि एक मुश्त अनुदान स्वरूप प्राप्त की जायेगी।

2. ऐसे उद्यमियों, जो विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होंगे, से विकास शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कुछ शुल्क लेकर प्राप्त धनराशि को कोष में जमा किया जायेगा।

3. विकास शुल्क का निर्धारण जिला उद्योग मित्र द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

12. अन्य–

1. कोष के क्रियान्वयन से सम्बन्धित यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित हो, तो ऐसे मामलों को राज्य शासन को निदेशक उद्योग के माध्यम से सन्दर्भित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. यदि नियमावली में समय–समय पर कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाना हो, तो जिला उद्योग मित्र से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

3. योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का दायित्व जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड का होगा।

4. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

5. यदि किसी वित्तीय वर्ष में एकीकृत पर्वतीय विकास अधिनियम के किसी मद में कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो निदेशक उद्योग प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से उक्त धनराशि को अवस्थापना निधि में स्थानान्तरित कर सकता है।

औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(1)(vii) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना औद्योगिक आस्थान अवस्थापना सुविधा विकास प्रोत्साहन राज सहायता योजना–2008 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ और अवधि–

यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31 मार्च, 2018 तक, जब तक अन्यथा संशोधित न हो, प्रवर्त्त रहेगी।

3. योजना का लागू होना–

यह योजना विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के प्रस्तर–2 में चिन्हित/अधिसूचित दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए एवं श्रेणी–बी के जनपदों में स्थापित अथवा नये स्थापित होने वाले सरकारी, अर्द्धसरकारी, सहकारी, संयुक्त तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों के लिए लागू रहेगी।

4. परिभाषा–

(1) औद्योगिक आस्थान का तात्पर्य राज्य/निजी उद्यमी द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(2) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा विकसित किये गये हों।

(3) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो।

(4) अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अन्दर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

5. पात्रता–

(1) योजनान्तर्गत अनुदान अथवा प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र औद्योगिक आस्थान को निम्नलिखित औपचारिकताएं/शर्तें पूर्ण करनी आवश्यक होंगी–

(i) औद्योगिक आस्थान की भूमि पर राज्य सरकार अथवा निजी प्रवर्तक का पूर्ण स्वामित्व एवं वैधानिक नियंत्रण हो।

(ii) औद्योगिक आस्थान राज्य सरकार से अधिसूचित हो।

(iii) निजी/संयुक्त/सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक आस्थान के विकास के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा निरन्तरता में दो एकड़ या इससे अधिक हो।

(iv) औद्योगिक आस्थान की कुल भूमि का न्यूनतम 50 प्रतिशत भू–भाग अन्य उद्यमियों को आवंटित करना आवश्यक होगा, किन्तु आवंटी उद्यमियों की संख्या तीन से कम न हो।

(v) औद्योगिक आस्थान का ले–आऊट प्लान/मानचित्र शासन अथवा शासन की अधिकृत एजेंसी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित हो।

(vi) अवस्थापना सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित आंगणन/प्रस्ताव राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अनुमोदित हो।

6. अनुदान/राज सहायता की स्वीकार्य सीमा–

योजनान्तर्गत अधिसूचित सभी जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित अथवा स्थापित होने वाले राजकीय/निजी औद्योगिक आस्थान में भूमि के विकास तथा असंरचनात्मक सुविधाओं (Infiastructure Facilities) में किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र), जो भी कम हो, अनुदान सहायता के रूप में देय होगी।

7. अनुदान सहायता के संवितरण हेतु विर्निदष्ट एजेंसी–

योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता के संवितरण हेतु उद्योग निदेशक उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेंगे। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत संवितरण एजेंसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि को अग्रिम

के रूप में आहरित कर उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 (SIDCUL) अथवा इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी के खाते में जमा कर उसका उपयोग भविष्य में कर सकेगा।

8. अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया–

राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा निजी प्रर्वतक/उद्यमी स्थापित औद्योगिक आस्थान अथवा नये औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के उपरान्त आस्थान में किये जाने वाले अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा अधिकृत निर्माण एजेंसियों से अनुमोदित अपनी परियोजना आगणन सहित सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे। अनुदान की अनुमन्यता के लिए दावा प्रस्तुत करते समय राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य की गुणवत्ता एवं समाप्ति (Completion) के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्राप्त प्रस्तावों को जिला उद्योग मित्र समिति में विचार/निर्णय हेतु प्रस्तुत कर उस पर जिला उद्योग मित्र के अभिमत/संस्तुति सहित स्वीकृति के लिए उद्योग निदेशालय को प्रेषित करेंगे। निदेशक, उद्योग द्वारा जिला उद्योग मित्र समिति से अनुमोदित प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन के लिए राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

9. अनुदान सहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया–

1. उच्च प्राधिकृत समिति प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में अनुदान की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर योजनान्तर्गत निर्दिष्ट संवितरण अभिकरण द्वारा औद्योगिक आस्थान में प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं के पूर्ण होने के उपरान्त एकमुश्त की जायेगी, किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कम से कम 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया हो तथा इसके सम्बन्ध में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी दे दिया जाता है, तो सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने पर स्वीकृत अनुदान सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि बतौर अग्रिम अवमुक्त की जा सकती है तथा शेष राशि कार्य की गुणवत्ता का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन करके उसकी संस्तुति एवं कार्य की समाप्ति (Completion) होने पर ही संवितरित की जायेगी।
2. औद्योगिक आस्थान के स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों द्वारा सृजित अवस्थापना सुविधाओं के उपयोग आदि के सम्बन्ध में संवितरण अभिकरण तथा सम्बन्धित एकक् के बीच अनुबन्ध/करार किया जायेगा। इस अनुबन्ध पत्र में किये गये करार का उल्लंघन होने अथवा राज्य सरकार के संज्ञान में अनुदान अथवा राज्य सहायता दिये जाने के पश्चात् किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आस्थान को योजना प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के भीतर बन्द करने की जानकारी प्राप्त होती है तो राज्य सरकार सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान के प्रर्वतक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुदान सहायता की वसूली भू–राजस्व वसूली की तरह 18 प्रतिशत ब्याज सहित कर सकती है।
3. राज्य सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर किये गये व्यय की सदुपयोगिता रिर्पोट निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी। निजी प्रर्वतकों/उद्यमियों द्वारा अवस्थापना विकास अनुदान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक आस्थान के कार्य–कलापों के बारे में 10 वर्ष तक, जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, अपनी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन/ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(2) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ और अवधि–

यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर और दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त्त रहेगी।

3. पात्रता–

यह योजना औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले प्रस्तर–1 में अधिसूचित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित नये उद्यमों के लिये लागू रहेगी।

4. नये उद्यम की परिभाषा–

नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम, स्थाई पूंजी निवेश, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि की वही परिभाषायें मान्य होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 1961/सात–II/123–उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हैं अथवा समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्रमाणित परिभाषायें।

5. उपादान सहायता की मात्रा/सीमा–

1. श्रेणी–ए के जनपदों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु0 30.00 लाख (रुपये तीस लाख मात्र) तक।

2. श्रेणी–बी के जनपदों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों–

(1) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रु0 30.00 लाख (रुपये तीस लाख मात्र) तक।

(2) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत, अधिकतम रु0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) तक।

6. कार्यशाला भवन, संयंत्र तथा मशीनरी–

1. भवन–केवल उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूंजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये के भवन हेतु कम से कम 10 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी हो। कार्यालय/आवासीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा।

2. मशीनरी,संयंत्र एवं उपकरण–मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयंत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाईयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

7. योजना का क्रियान्वयन व सहायता संवितरण हेतु एजेन्सी–

योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया–

1. नये उद्यम स्थापित करने का आशय रखने वाले उद्यमियों को सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में उद्यमी ज्ञापन भाग–1/एस0आई0ए0/आई0ई0एम0 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने से पूर्व सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत अपने को पंजीकृत कराना होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों के साथ निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा।

(i) उद्यमी ज्ञापन भाग–1, एस0आई0ए0, आई0ई0एम0 (जैसी भी स्थिति हो) की प्रति।

(ii) सूक्ष्म उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजैक्ट प्रोफाइल तथा लघु, मध्यम व बृहत उद्योगों के प्रकरणों में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रोजैक्ट रिपोर्ट।

(iii) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से यदि परियोजना अनुमोदित हो, तो उसकी प्रति।

(iv) जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति।

(v) उद्यमी ज्ञापन भाग–2/उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(vi) उत्तराखण्ड के मूल व स्थाई निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र।

(vii) प्रदूषण अनापत्ति/सहमति पत्र।

(viii) भू-स्वामित्व प्रमाण–पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामे की प्रति।

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।

(x) आर्कीटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी ऑगणन तथा लागत प्रमाण–पत्र (यदि निर्माण लागत रु0 1 लाख से अधिक हो)

(xi) प्लाण्ट एवं मशीनरी का मद/तिथिवार विवरण, निवेशित व्यय, बिल वाउचर तथा भुगतान रसीदों की प्रतियां।

(xii) रु0 1 लाख से अधिक का उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण–पत्र/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण–पत्र।

(xiii) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने वर दावे का सूक्ष्म परीक्षण करते हुये अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

9. उपादान सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रक्रिया–

1. प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपादान सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008, जिसे कि औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 1961/सात–II/123–उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी किया गया है, में अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य/जिला स्तर पर गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति उत्तरदायी होगी।

2. नये स्थापित उद्यम को स्वीकृत उपादान सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर वितरित की जायेगी। तथापि ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुरूप उपादान सहायता की आधे से अनधिक राशि उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टी के अनुरूप उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाये

जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र/सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में अवशेष राशि उद्यम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् ही वितरित की जायेगी।

3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उपादान सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरित की जायेगी। उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शमिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

10. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व–

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने पर विचार कर सकता है।

2. निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रु0 01 लाख से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

11. अन्य–

1. प्रस्तर–10 (1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सदृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

2. योजना के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर शासन का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

3. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश तथा किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(3) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ और अवधि–

यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर दिनाक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त्त रहेगी।

3. परिभाषा–

1. इस योजना के सम्बन्ध में नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्यम की परिभाषायें वही होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हों।
2. सावधि ऋण से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय हेतु लिया गया हो।
3. कार्यशील पूंजी से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण/साख सुविधा से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित किया गया हो।
4. रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आशय, ऐसे वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से हैं, जिनके सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा परिभाषित किया गया हो।

4. पात्रता–

1. नये विनिर्माणिक तथा सेवा उद्यम, चाहे वह किसी भी श्रेणी (सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत) की हों, को उनके द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी।
2. ऐसे उद्यम, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती हो, इस सहायता की पात्र नहीं होंगी।
3. भारत सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
4. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई०ई०एम०/एस०आई०ए० अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।
5. ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।
6. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

5. उपादान सहायता की सीमा एवं मात्रा–

1. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत अधिकतम रु० 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
2. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–बी के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 5 प्रतिशत अधिकतम रु० 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
3. उत्तराखण्ड राज्य के मूल एवं स्थाई निवासी द्वारा श्रेणी–बी के जनपद में उद्यम स्थापना पर भी उपादान की मात्रा व सीमा 6 प्रतिशत अधिकतम रु० 5 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।
4. ब्याज उपादान की अवधि की गणना परियोजना हेतु स्वीकृत सावधि व कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृति की प्रथम किश्त संवितरण के दिनांक से अनुमन्य अवधि तक की जायेगी।

5. ब्याज उपादान केवल मूल ब्याज दर के विरूद्ध देय होगा अर्थात् विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य कोई अतिरिक्त देय पर उपादान प्राप्त नहीं होगा।

6. ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया–

1. पात्र उद्यमों द्वारा निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा।

(i) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति।

(ii) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एस0आई0ए0/आई0ई0एम0 (पार्ट–ए व बी) की प्रति।

(iii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की प्रति।

(iv) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(v) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा सावधि/कार्यशील पूंजी ऋण का स्वीकृति पत्र तथा प्रथम किश्त संवितरण प्रमाण–पत्र।

(vi) ऋण का स्वीकृति पत्र सिर्फ पहले त्रैमास के आवेदन पत्र के साथ तथा उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन होने पर सम्बन्धित त्रैमास में संशोधित स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(viii) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है।

(ix) ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्यमी ज्ञापन भाग–2/आई0ई0एम0 पार्ट–बी जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावे का परीक्षण कर ब्याज उपादान प्रोत्साहन नियमावली के नियमों के अनुसार परीक्षणोपरान्त दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तथा प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

(xi) जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत धनराशि की मांग हेतु निदेशक उद्योग को भेजी जायेगी। निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये जिला उद्योग केन्द्र को धनराशि का आवंटन करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक को उपादान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी, जो उसी ऋणी के खाते में सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। ब्याज उपादान की राशि नकद में नहीं दी जायेगी।

(xii) ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले दो त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. ब्याज उपादान की वसूली–

1. ब्याज उपादान की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि इकाई/बैंक द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो ब्याज उपादान की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी, जिसकी वसूली सम्बन्धित बैंक/इकाई या दोनों से भू–राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

2. ब्याज उपादान की राशि केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

8. अन्य–

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लिये बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(6) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना विशेष राज्य परिवहन उपादान सहायता योजना नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति कर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।

3. स्वरुप एवं क्षेत्र–

पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऐसे उद्यम, जो स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता प्रदान की जायेगी।

4. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि–

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

5. नये तथा स्थानीय संसाधन पर आधारित विनिर्माणक उद्यम–

1. नये तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का तात्पर्य ऐसे विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम से होगा, जिन्हें अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में परिभाषित किया गया है।

2. कच्चेमाल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे किसी उद्यम ने अपने उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया हो अथवा उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया हो। इसमें इकाई द्वारा उत्पादन में उपयोग किये गये समस्त इन्पुट्स सम्मिलित होंगे।

3. तैयार माल का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे उद्यम ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रादेशिक वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत या अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रमानुसार वास्तव में उत्पादित किया हो, जिसमें सह उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

6. पात्रता–

1. ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प) में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई0ई0एम0/एस0आई0ए0 अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

2. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत क्षेत्र के उन सभी उद्यमों, जो कि स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रमुख कच्चेमाल का कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर उत्पादित कच्चेमाल में से करता हो, को यह सहायता अनुमन्य होगी।

3. इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम को पृथक रूप से सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिये उद्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक वांछित पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे। आवेदन पत्र तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. ईंधन, कच्चेमाल अथवा तैयार माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्रियां, जो प्रयुक्त होने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं (Consumables) के लिये सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2008 के बाद स्थापित किये गये समस्त पात्र उद्यमों को अनुमन्य होगी, लेकिन योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण की तिथि से अथवा इसके बाद परिवहन किये गये कच्चेमाल तथा तैयार माल पर ही यह अनुदान देय होगा।

7. उपादान की मात्रा एवं सीमा–

1. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–ए के जनपदों में कुल सालान बिक्री का 5 प्रतिशत, अधिकतम रु0 5.00 लाख प्रतिवर्ष।

2. स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–बी के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 3 प्रतिशत, अधिकतम रु0 3.00 लाख प्रतिवर्ष।

3. इकाई की सालान बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि व्यापार कर विभाग में दाखिल प्रतिफल (Return) तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

4. यह छूट उन उद्यमों को देय होगी, जिनके उद्यम में स्वनिर्मित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चेमाल की वर्ष में कम से कम 30 प्रतिशत सम्पूर्ति प्रदेश के अन्दर उपलब्ध/उत्पादित कच्चेमाल से हो रही हो।

8. अभिलेखों का रख–रखाव–

1. इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा तैयार का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी माँग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

9. विशेष परिवहन उपादान दावों का प्रस्तुतिकरण–

1. उद्यम द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित आवेदन पत्र पर लेखा वर्ष के आधार पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को किया जायेगा। उद्यम द्वारा प्रथम लेखा वर्ष के परिवहन उपादान दावे उसके अनुवर्ती लेखा वर्ष के द्वितीय माह के अन्त तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को अवश्य प्रस्तुत करने होंगे एवं महाप्रबन्धक अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक जाँच/परीक्षण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनुवर्ती लेखा वर्ष के चतुर्थ माह में स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर गठित जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति के सम्मुख अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी उद्यम द्वारा किसी लेखा वर्ष का दावा अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रस्तुत न किया जा सके, तो उसे वह दावा विलम्बतः अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इसके उपरान्त इस दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा कच्चामाल क्रय तथा तैयार माल बिक्री के बिल, कैश मैमो एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियाँ, वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न तथा वाणिज्य कर विभाग की सत्यापन रिपोर्ट साक्ष्य में उपलब्ध करानी होगी।

10. दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया–

1. विशेष राज्य परिवहन उपादान के समस्त दावे, चाहे वह किसी भी धनराशि के हों, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा।

जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य
4.	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
5.	सम्बन्धित उपायुक्त, वाणिज्य कर	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	संयोजक सदस्य

11. उपादान संवितरण की प्रक्रिया–

1. उपादान के संवितरण के लिए निदेशक उद्योग संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

2. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।

3. प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिए प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की माँग निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी।

4. निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/प्राप्त माँग के सापेक्ष धनराशि का संवितरण करेंगे।

5. उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथा-कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

12. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व–

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा यह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने के लिए कह सकते हैं।

2. निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसकी किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूँजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. अन्य–

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. परिवहन उपादान हेतु अपात्र वस्तुओं एवं अपात्र उद्यमों की सूची में समय–समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

3. परिवहन उपादान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ0पी0ओ0/प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

[औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ0वि0/VII-II-08/2008, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(9)(2) से अनुमोदित]

1. संक्षिप्त नाम–

यह योजना राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कॉपीराइट/एफ0पी0ओ0/प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।

2. उद्देश्य–

इस योजना का उद्देश्य उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता/प्रबन्धन, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।

3. सहायता का स्वरूप एवं मात्रा–

आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु उद्यम द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0एस0आई0, क्वालिटी मार्किंग, बी0आई0एस0, ट्रेड मार्क, कापीराइट, एफ0पी0ओ0 पंजीयन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) तक की धनराशि की प्रतिपूर्ति उपादान सहायता के रूप में की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त उपादान सहायता की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी। गुणवत्ता/प्रबन्धन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किये गये व्ययों में आवेदन शुल्क, अंकेषण शुल्क, वार्षिक फीस/अनुज्ञा शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, तकनीकी कन्सल्टेंसी, यंत्र–संयत्र का मूल्य तथा अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित होगा, परन्तु यात्रा व्यय, होटल व्यय, पत्राचार व्यय का समावेश इसमें नहीं किया जायेगा।

4. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि–

यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

5. परिभाषा–

इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्यम आदि की वही परिभाषायें होंगी, जो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी की गई हो।

6. पात्रता–

1. दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण/मानकीकरण के तहत आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0/बी0आई0एस0/पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ0पी0ओ0/प्रदूषण नियंत्रण एवं समान प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र/पंजीकरण प्राप्त करने पर सहायता के पात्र होंगे।

2. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई0ई0एम0/एस0आई0ए0 अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

3. गुणवत्ता प्रमाणीकरण उपादान योजनान्तर्गत उपादान सहायता का लाभ लेने के लिए उद्यम को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि पर आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् किये गये आवेदनों को सहायता प्राप्त नहीं होगी।

4. आवेदन उद्यम द्वारा यदि भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की आई0एस0ओ0–9000/14000 या समतुल्य प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु लागू योजना का लाभ प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।

7. योजना का क्रियान्वयन–

योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन करने तथा स्वीकृति की प्रक्रिया–

1. नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यमों को निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(i) सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा विधिमान्य प्राधिकृत विभाग से जारी उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व 2) की अभिस्वीकृति, आई0ई0एम0/एस0आई0ए0/आशय पत्र, पंजीकरण की प्रति।

(i) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र या समतुल्य प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।

(iii) प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय के बिल वाउचरों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(iv) निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

(v) भारत सरकार की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ न लेने सम्बन्धी शपथ–पत्र।

2. जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का परीक्षण कर दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर दावे की स्वीकृति के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृत दावे की धनराशि की माँग बैठक के कार्यवृत्त सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी, निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिए बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि का आवंटन करेंगे।

9. सहायता की वसूली–

यदि यह पाया जाता है कि उद्यम द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से उपादान सहायता प्राप्त की गई है तो उपादान की पूर्ण राशि एक मुश्त 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10. नियमों की व्याख्या–

1. अनुदान की पात्रता, नियमों की व्याख्या या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

आज्ञा से,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/734–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 2006–08
(लाइसैन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 ई0 (कार्तिक 03, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 14, 2008

No. 204/UHC/XIV/59/Admin.A--Sri Rajeev Kumar Khulbe, Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi, is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 15.09.2008 to 29.09.2008 with permission to prefix 13.09.2008 and 14.09.2008 as 2nd saturday and Sunday holidays.

October 14, 2008

No. 205/UHC/XIV/11/Admin.A--Sri R. P. Pandey, District & Sessions Judge, Almora, is hereby sanctioned medical leave for 61 days *w.e.f.* 14.05.2008 to 13.07.2008.

October 15, 2008

No. 206/UHC/XIV/56/Admin.A--Sri Dhananjay Chaturvedi, Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal, is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 04.09.2008 to 08.09.2008.

By Order of the Court,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

October 16, 2008

No. 207/UHC/Admin.A/2008--Sri V.B. Rai, District & Sessions Judge, Nainital shall also remain incharge of District & Sessions Judge, Almora till 15.11.2008. He will hold the Court of District Judge, Almora at Almora for a day in a week during the period of inchargeship.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
V. K. MAHESHWARI,
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/734–भाग 1–क–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 ई0 (कार्तिक 03, 1930 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2008 ई0

पत्रांक 458/प्रमुख निर्वाचन/2008–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना सं0 1799/रा0नि0आ0अनु–2/916/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के अनुपालन, मैं, डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोतम, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी जनपद के छः विकास खण्डों (भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगाँव, पुरोला, मोरी) के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार अधिसूचित करता हूँ :–

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
01–10–2008 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक	01–10–2008 (अपरान्ह 15.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03–10–2008 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक)	05–10–2008 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक)	05–10–2008 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2–यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तद्धीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3–सहायक निर्वाचन अधिकारी, सार्वजनिक जानकारी हेतु नियमावली के प्रपत्र–1 में इस कार्यक्रम का नोटिस प्रकाशित करेंगे। उक्त नोटिस जिला कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों पर प्रकाशित करेंगे और उसकी एक प्रति सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजेंगे।

4–यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम 13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों।

5–प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पदों के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

6–प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख, भटवाडी–महिला, डुण्डा–महिला, चिन्यालीसौड़–अनारक्षित, नौगांव–अनुसूचित जाति, पुरोला–अन्य पिछड़ा वर्ग एवं मोरी–अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है।

24 सितम्बर, 2008 ई0

पत्रांक 459/ज्ये0उ0प्र0/क0उ0प्र0 निर्वाचन/2008–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना सं0 1800/रा0नि0आ0अनु–2/916/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2008 के अनुपालन में, मैं, डा0 बी0 वी0 आर0 सी0 पुरुषोत्तम, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तरकाशी जनपद के छः विकास खण्डों (भटवाडी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोला, मोरी) की क्षेत्र पंचायतों के ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों, के पदों के निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार अधिसूचित करता हूं :–

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
01–10–2008 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक	01–10–2008 (अपरान्ह 15.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03–10–2008 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक)	05–10–2008 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 15.00 बजे तक)	05–10–2008 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2–यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) एवं तद्धीन प्रख्यापित उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3–सहायक निर्वाचन अधिकारी, सार्वजनिक जानकारी हेतु नियमावली के प्रपत्र–1 में इस कार्यक्रम का नोटिस प्रकाशित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों पर प्रकाशित करेंगे और उसकी एक प्रति सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजेंगे।

4–यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–1 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वह नियम 13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में हों।

5—ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पदों के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

डा0 बी0 वी0 आर0 सी0 पुरुषोतम,
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत), उत्तरकाशी।

कार्यालय, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), पिथौरागढ़

[जिले की (त्रिस्तरीय) क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन]
(माह सितम्बर/अक्टूबर, 2008)

सूचना

22 सितम्बर, 2008 ई0

संख्या 1015/पं0नि0/उप निर्वाचन/2008–09—जनपद पिथौरागढ़ के समस्त विकास खण्डों के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन माह अगस्त/सितम्बर, 2008 में सम्पादित कराये गये थे। उक्त सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् जनपद के विकास खण्डों में क्षेत्र पंचायतों के सदस्य पद तथा जिला पंचायत के सदस्य पद के निर्वाचन प्रत्यादिष्ठ हो जाने कारण, नामांकन के दौरान विभिन्न पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त स्थानों/पदों पर, जो मा0 न्यायालय के आदेश से बाधित न हों, अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाना है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 1795/रा0नि0आ0 अनु0–2/780/2007, दिनांक 20 सितम्बर, 2008 द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में, मैं, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पिथौरागढ़ एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं कि जनपद के सभी विकास खण्डों के क्षेत्र पंचायत के सदस्य पदों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के उक्त प्रकार के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन नीचे विनिर्दिष्ट समय सारणी एवं संलग्न रिक्तियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे :—

नामांकन की तिथियां व समय	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
29 सितम्बर, 2008 तथा 30 सितम्बर, 2008 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 16.00 बजे तक)	01 अक्टूबर, 2008 (प्रातः 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03 अक्टूबर, 2008 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 16.00 बजे तक)	04 अक्टूबर, 2008 (प्रातः 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18 अक्टूबर, 2008 (प्रातः 07.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक)	22 अक्टूबर, 2008 को (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2—उपरोक्त समय सारणी के अनुसार जिले की क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के, रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद हेतु जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक निर्वाचन अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

3—नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री अधिसूचना की तिथि से प्रत्येक दिन पूर्वान्ह 10.00 बजे से 17.00 बजे तक विकास खण्ड मुख्यालयों/जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। नाम निर्देशन के लिये निर्धारित तिथियों एवं समय में भी नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री की जाती रहेगी।

4—सदस्य, ग्राम पंचायत; प्रधान, ग्राम पंचायत के स्थानों/पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचक प्रतीक का आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। इन उप निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित है।

संलग्निका

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जिला पंचायत के रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पदों का विवरण	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	आरक्षण का विवरण
1.	मूनाकोट	सदस्य, जिला पंचायत	29 भडकटिया	29	अनारक्षित

ह0 अस्पष्ट,
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
पिथौरागढ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 43 हिन्दी गजट/734—भाग 3—2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ए0–30 / 2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008 ई0 (कार्तिक 03, 1930 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi--110 001

DIRECTION

September 16, 2008

No. 3/4/2008/JS--II--In pursuance of sub-rules (1) and (3) of Rule 10 of the Conduct of Elections Rules 1961, and in supersession of its direction S.O. 1/87, dated 17th July, 1987, the Election Commission hereby directs that the list of contesting candidates in Form 7A, at an election to the Legislative Assembly of the State/ UT mentioned in column (1) of the Table below, from the Assembly Constituencies mentioned under column (2) of the Table shall be prepared in the language or languages specified against that constituency in column (3) of the said table, and that where the list is prepared in more than one language, the name of candidates shall be arranged alphabetically according to the script of the language first specified in column (3) :--

When any such list is forwarded to the Election Commission, it shall if not in English, be accompanied by a translation in English.

TABLE

State/Union Territory		No. and Name of Assembly Constituencies	Language/Languages
1		2	3
1-Andhra Pradesh	(a)	8-Boath (ST) 10-Mudhole and 13-Jukkal (SC)	Telugu and Marathi
	(b)	57-Musheerabad 58-Malakpet 59-Amberpet 60-Khairatabad 61-Jubilee Hills 62-Sanathnagar 63-Nampally 64-Karwan 65-Goshamahal 66-Charminar 67-Chandrayangutta 68-Yakutpura 69-Bahadurpura 70-Secunderabad and 71-Secunderabad Cantt. (SC)	Talugu, English and Urdu
	(c)	All other Assembly Constituencies	Telugu

1		2	3
2-Arunachal Pradesh		All Assembly Constituencies	English
3-Assam	(a)	1-Ratabari (SC)	Bengali
		2-Patharkandi	
		3-Karimganj North	
		4-Karimganj South	
		5-Badarpur	
		6-Hailakandi	
		7-Katlichera	
		8-Algapur	
		9-Silchar	
		10-Sonai	
		11-Dholai (SC)	
		12-Udharbond	
		13-Lakhipur	
		14-Barkhola and	
		15-Katigora	
	(b)	16-Haflong (ST)	English
	(c)	All other Assembly Constituencies	Assamese
4-Bihar		All Assembly Constituencies	Hindi
5-Chhattisgarh		All Assembly Constituencies	Hindi
6-Goa		All Assembly Constituencies	English and Konkani/Marathi in Devnagari script
7-Gujarat		All Assembly Constituencies	Gujarati
8-Haryana		All Assembly Constituencies	Hindi
9-Himachal Pradesh		All Assembly Constituencies	Hindi
10-Jharkhand		All Assembly Constituencies	Hindi
*11-Karnataka	(a)	1-Nippani	Kannada and Marathi
		2-Chikkodi-Sadalga	
		11-Belgaum Uttar	
		12-Belgaum Dakshin	
		13-Belgaum Rural	
		14-Khanapur	
		47-Basavakalyan	
		51-Bhalki	
		52-Aurad (SC)	
		76-Haliyal	
		77-Karwar	
	(b)	44-Gulbarga Dakshin	Kannada and Urdu
		45-Gulbarga Uttar	
	(c)	146-Kolar Gold Fields (SC)	Kannada and English
		154-Rajarajeshwarinagar	
		156-Mahalakshmi Layout	
		157-Malleshwaram	
		159-Pulakeshinagar (SC)	
		160-Sarvagnanagar	
		161-C.V. Raman Nagar (SC)	
		162-Shivajinagar	
		163-Shanti Nagar	
		164-Gandhi Nagar	
		165-Rajaji Nagar	
		166-Govindaraj Nagar	
		167-Vijay Nagar	
		168-Chamrajpet	
		169-Chickpet	
		170-Basavanagudi	
		173-Jayanagar	
	(d)	All other Assembly Constituencies	Kannada

1	2	3
12-Kerala	(a) 1-Manjeswar 2-Kasaragod	Malayalam and Kannada
	(b) 88-Devikulam (SC)	Malayalam and Tamil
	(c) All other Assembly Constituencies	Malayalam
13-Madhya Pradesh	(a) 150-Bhopal Uttar 151-Narela 152-Bhopal Dakshin-Paschim 153-Bhopal Madhya and 180-Burhanpur	Hindi and Urdu
	(b) All other Assembly Constituencies	Hindi
14-Maharashtra	(a) 52-Nagpur South West 53-Nagpur South 54-Nagpur East 55-Nagpur Central 56-Nagpur West 57-Nagpur North (SC) 146-Ovala Majiwada 147-Kopri Pachpakhadi 148-Thane 149-Mumbra Kalwa 150-Airoli 151-Belapur 152-Borivali 153-Dahisar 154-Magathane 155-Mulund 156-Vikhroli 157-Bhandup West 158-Jogeshwari East 159-Dindoshi 160-Kandivali East 161-Charkip 162-Malad West 163-Goregaon 164-Versova 165-Andheri West 166-Andheri East 167-Vile Parle 168-Chandvali 169-Ghatkopar West 170-Ghatkopar East 171-Nankhurd Shivaji Nagar 172-Anushakti Nagar 173-Chembur 176-Vandre East 177-Vandre West 178-Dharavi (SC) 179-Sion Koliwada 180-Wadala 182-Worli 183-Shivadi 185-Malabar Hill 187-Colaba 205-Chinchwad 206-Pimpri (SC)	Marathi and English

1	2	3
14-Maharashtra	207-Bhosari	Marathi and English
	208-Vadgaon Sheri	
	209-Shivajinagar	
	210-Kothrud	
	211-Khadakwasala	
	212-Parvati	
	213-Hadapsar	
	214-Pune Cantonment (SC), and	
	215-Kasba Peth	
	(b) 86-Nanded North	Marathi and Urdu
	87-Nanded South	
	106-Phulambri	
	107-Aurangabad Central	
	108-Aurangabad West (SC)	
	109-Aurangabad East	
	114-Malegaon Central	
	115-Malegaon Outer	
	136-Bhiwandi West, and	
	137-Bhiwandi East	
	(c) 174-Krula (SC)	Marathi, English and Urdu
	175-Kalina	
	181-Mahim	
	184-Byculla, and	
	186-Mumbadevi	
	(d) 250-Akkalkot	Marathi and Kannada
	251-Solapur South	
	271-Chandgad	
	280-Shirol, and	
	288-Jat	
	(e) All other Assembly Constituencies	Marathi
15-Manipur	(a) 41-Chandel (ST)	English
	42-Tengnoupal (ST)	
	43-Phunyar (ST)	
	44-Ukhrul (ST)	
	45-Chingai (ST)	
	46-Saikul (ST)	
	47-Karong (ST)	
	48-Mao (ST)	
	49-Tadubi (ST)	
	50-Kanpokpi	
	51-Saitu	
	52-Tamei (ST)	
	53-Temenglong (ST)	
	54-Nungba (ST)	
	55-Tipaimukh (ST)	
	56-Thanlon (ST)	
	57-Henglep (ST)	
	58-Churachandpur (ST)	
	59-Saikot (ST)	
	60-Singhat (ST)	
	(b) All other Assembly Constituencies	Manipuri
16-Meghalaya	All Assembly Constituencies	English
17-Mizoram	All Assembly Constituencies	English
18-Nagaland	All Assembly Constituencies	English

1	2	3
19-Orissa	(a) 127-Chhatrapur (SC) 133-Berhampur 137-Paralakhemundi 138-Ghnupur (ST) and 140-Rayagada (ST)	Oriya and Telugu
	(b) All other Assembly Constituencies	Oriya
20-Punjab	All Assembly Constituencies	Punjabi
21-Rajasthan	All Assembly Constituencies	Hindi
22-Sikkim	All Assembly Constituencies	English
23-Tamil Nadu	(a) 3-Tiruttani	Tamil and Telugu
	(b) 11-Dr. Radhakrishnan Nagar 12-Perambur 13-Kolathur 14-Villivakkam 15-Thiru-Vi-ka-Nagar (SC) 16-Egmore (SC) 17-Royapuram 18-Harbour 19-Chepauk Thiruvallikeni 20-Thousand Lights 21-Anna Nagar 22-Virugampakkam 23-Saidapet 24-Thiyagarayanagar 25-Mylapore 26-Velachery	Tamil and English
	(c) 54-Veppanahalli 55-Hosur 56-Thalli	Tamil, Telugu & Kannada
	(d) 109-Gudalur (SC) 232-Padmanabhapuram 233-Vilavancode 234-Killiyoor	Tamil and Malayalam
	(e) All other Assembly Constituencies	Tamil
24-Tripura	All Assembly Constituencies	Bengali
25-Uttar Pradesh	(a) 3-Saharanpur Nagar 4-Saharanpur 7-Gangoh 8-Kairana 14-Muzaffar Nagar 17-Najibabad 18-Nagina (SC) 19-Barhapur 20-Dhampur 21-Nehtaur (SC) 22-Bijnor 23-Chandpur 24-Noorpur 25-Kanth 26-Thakurdwara 27-Moradabad Rural 28-Moradabad Nagar 29-Kundarki 30-Bilari 31-Chandausi (SC)	Hindi and Urdu

1	2	3
25-Uttar Pradesh	32-Asmoli 33-Sambhal 34-Suar 35-Chamraua 37-Rampur 40-Naugawan Sadat 41-Amroha 47-Meerut Cantt. 48-Meerut 49-Meerut South 60-Garhmukteshwar 75-Koli 76-Aligarh 97-Firozabad 115-Badaun 124-Bareilly 125-Bareilly Cantt. 127-Bilibhit 135-Shahjahanpur 171-Lucknow West 174-Lucknow Central 213-Sishamau 214-Arya Nagar 278-Tanda 286-Bahraich 312-Mehendawal 313-Khalilabad and 356-Mau	Hindi and Urdu
	(b) All other Assembly Constituencies	Hindi
26-Uttarakhand	All Assmelby Constituencies	Hindi
27-West Bengal	(a) 22-Kalimpong 23-Darjeeling 24-Kurseong 25-Matigara Naxalbari (SC) 26-Siliguri 27-Phansidewa (ST)	Bengali and Nepali
	(b) 28-Islampur 30-Goalpokhar 31-Chakulia	Bengali and Hindi
	(c) 115-Rajarhat New Town 116-Bidhannagar 153-Behala Purba 154-Behala Paschim 157-Metiaburaz 158-Kolkata Port 159-Bhabanipur 160-Rashbehari 161-Ballygunge 162-Chowrangee 163-Entally 164-Beleghata 165-Jorasanko 166-Shyampukur 167-Maniktala 168-Kashipur Belgachhia	English
	(d) 224-Kharagpur Sadar	Bengali and English
	(e) All other Assembly Constituencies	Bengali

1	2	3
28-NCT of Delhi	(a) 20-Chandni Chowk 21-Matia Mahal 22-Ballimaran 54-Okhla 63-Seemapuri (SC) 65-Seelampur and 69-Mustafabad	Hindi, Urdu and English
	(b) All other Assembly Constituencies	Hindi and English
29-Puducherry	(a) 29-Mahe	Malayalam
	(b) 30-Yanam	Telugu
	(c) All other Assembly Constituencies	Tamil

* *vide* Direction No. 3/4/2008/J.S.II, dated 10th April, 2008.

By Order,
K. F. WILFRED,
Secretary.

By Order,
RADHA RATURI,
Secretary & Chief Election Officer.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 43 हिन्दी गजट/734–भाग 7–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।